न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–377/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00341)

1. नन्दकिशोर पुत्र भूरा,
2. सत्यनारायण पुत्र भूरा, जाति ब्राहाम्ण निवासी किशनगढ रेनवाल, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 23.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ जयपुर के निर्णय दिनांक 08.02.2018 (अपील संख्या 53/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 237/1 जिसके मूल खसरा नम्बर 237 थे, जो सम्वत् 2011 से 2029 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट के पिता भूरा पुत्र महादेव के नाम दर्ज रही, सम्वत् 2043 से 2046 की राजस्व जमाबन्दी के दौराने अपीलान्ट के पिता भूरा फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 972 दिनांक 15.09.1989 को विधिक जांच कर अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया, जो निरन्तर काबिज काश्त रहे, सम्वत् 2059 से 2062 उक्त आराजीयात माफी मंदिर श्री किशन बिहारी जी वाके किशनगढ के नाम दर्ज करके दी गई जबकि उक्त आराजीयात अपीलान्ट के पिता स्व. भूरा पुत्र महादेव, जाति ब्राहाम्ण के नाम कब्जे काश्त अनुसार कानूनन जांच पड़ताल कर दर्ज की गई और भूरा की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात उसके विधि वारिस अपीलान्ट के नाम दर्ज रही, उक्त आराजीयात सम्वत् 2011 से 2029 भू प्रबन्ध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में भूरा पुत्र महादेव के नाम अंकित थी जिस पर अपीलान्ट के पूर्वज एवं उनके बाद अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है, जो पुख्ता मकानात स्थापित कर निवास करते चले आ रहे है जिसको दरकिनार करके अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ने अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया को भी दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 11.08.2004 को मॉफी मंदिर श्री किशन बिहारी जी महाराज सा. के नाम तस्दीक कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के

संभा. आयुक्त

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2592 दिनांक 11.08.2004 पारित आदेश अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुनवाई का अवसर बिना साक्ष्य, सबूत का अवसर दिये पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट को सूचना देना तथा सुनवाई का अवसर देना अति आवश्यक था, ऐसी स्थिति में विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार बाहर आदेश पारित किया गया जिस पर मियाद का बिन्दू लागू नही होता है तथा राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मियाद के बिन्दू पर कुछ भी आपत्ति प्रस्तुत नही की है, ना ही कुछ कहा ना ही कोई जवाब पेश किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील को खारिज किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी कभी भी माफी मंदिर की खातेदारी में दर्ज नही रही है तथा रिज्यूम होने के जमाने से उपभोक्ता के कॉलम में मंदिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित भूरा के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा भूरा की मृत्यु के बाद अपीलान्ट के नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनन जांच पड़ताल करने के बाद दर्ज हुआ, के उपरान्त अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहे है, अपीलान्ट के पूर्वज व उनके बाद अपीलान्ट माफी रिज्यूम होने के साथ निर्बाध रूप से खातेदार की हैसियत से काबिज होकर माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 3 में मंदिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में भूमि का माफी रिज्पशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा मार्फा रिजम्शन की धारा 10 के अन्तर्गत जमींदार अथवा माफींदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी वो ही भूमियों उनकी खातेदारी में अंकित की गई परन्तु यहॉ पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक के रूप में अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी भूरा का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था, अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी काबिज काश्त खातेदार रहे है। उन्होने कथन किया है कि राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं उसकी पालना में स्वयं राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.01.2010 भी स्पष्ट है, को दरकिनार करते हुये न्यायिक प्रावधानों के विपरित जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त भूमि सन् 1952 में जागीर उन्मूलन उक्ट के प्रभाव में आने की दिनांक 08.02.1952 को माफी किशन बिहारी के नाम खुदकाश्त भूमि दर्ज नही थी बल्कि सम्वत् 2011 से 2029 में कृषक के कॉलम में भूरा पुत्र महादेव दर्ज है, अर्थात उक्त वर्णित भूमि पर भी काश्त भूरा द्वारा की जा रही थी, जो जागीर एक्ट की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पालना में भूमि निरन्तर कृषकों के नाम दर्ज रही जिससे पैतृक अधिकार एवं हस्तान्तरण के

जारी करके धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई, उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त में दर्ज नही थी, के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की तह तक नही जाकर एवं बिना उक्त तथ्यों का अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2004 द्वारा अपीलान्ट को उनके हक पूर्वाधिकारी से चले आ रहे अधिकारों को समाप्त कर दिया जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही समझकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 53/2016 निर्णय दिनांक 31.08.2018 एवं अपील संख्या 53/2016 उनवानी नन्दकिशोर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 को एवं नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2592 पर दिनांक 11.08. 2004 को पारित आदेश अपास्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट को ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2011–2029 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री किशन बिहारी जी वाके किशनगढ के नाम खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड है चूँकि राज्य सरकार के आदेशानुसार मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क होने के कारण मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि का हस्तान्तरण अवैध है ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2592 पर दिनांक 11.08.2004 को पारित किया गया है जिसे अनुचित ठहराने के उचित कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।